संख्या- 4/18/सत्रह-म-2014-111-1 क(1) 2007

प्रेषक,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक-07 जनवरी2014

विषय- उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु-58 से 60 वर्ष किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1135/ म0वि0नि0/प्र0 नि0 /दिनांक 13-09-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ के नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु -58 से 60 वर्ष किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते करते है:-

1- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 शासनादेश संख्या -1601/44-1-2011-90/2005 दिनांक 20-12-2011 में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिवर्षता आयु 58 से 60 वर्ष करने में जो भी अतिरिक्त वित्तीय व्यय- भार आयेगा उसका वहन उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा अपने स्रोतो से करेगा इस हेतु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में दी जायगी1

http://shasanadesh.up.in

2- यह व्यवस्था निगम में तात्कालीक प्रभाव से (शासनादेश निर्गत होने की तिथि) से लागू होगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें1

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/18(1)/सत्रह-म-2013 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
2- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.in

FILENAME : NIGAM KARMCHARIYO KI ADHIVARTA AAYO 58 E 60
DIRECTORY : C : \DOCUMENT AND ETTING\ADMIN\DEKTOP\GO ON LINE
TEMPLATE : C : \DOCUMENT AND ETTING\ADMIN\APPLICATION DATA\MICROOFT\TEMPLATE\NORMAL.DOTM
TITLE :
UBJECT :
AUTHOR : HCL
KEYORD :
COMMENT :
CREATION DATE : 11/11/2013 2 : 17 : 00 AM
CHANGE NUMBER : 138
LAT AVED ON : 3/6/2014 1 : 12 : 00 AM
LAT AVED BY : HCL
TOTAL EDITING TIME : 713 MINUTE
LAT PRINTED ON : 3/6/2014 1 : 12 : 00 AM
A OF LAT COMPLETE PRINTING
NUMBER OF PAGE : 2
NUMBER OF ORD : 285 (APPROX.)
NUMBER OF CHARACTER : 1,625 (APPROX.)